(17)

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

अभिलेख संख्याः विविध............/2020

विषयः श्रीमती कैरी कुई हेम्ब्रम, पति– स्व० गोमाय हेम्ब्रम, ग्राम– झालियामारा, प्रखण्ड– सोनुआ, पश्चिमी सिंहभूम को जुलाई 2018 से राशन नहीं मिलने से संबंधित प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में सुनवाई।

आदेश का क्रम संख्या एवं दिनांकः	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
24.08.2021	अभिलेख उपस्थापित। श्रीमती कैरी कुई हेम्ब्रम, पति– स्व० गोमाय हेम्ब्रम, ग्राम– झालियामारा, प्रखण्ड– सोनुआ, पश्चिमी सिंहभूम को जुलाई 2018 से राशन नहीं मिलने से संबंधित प्राप्त शिकायत के आलोक में शिकायतकर्ता, जन वितरण प्रणाली दुकानदार झीलियामारा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनुआ एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15(5) के तहत् दिनांक– 24.08.2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सुनवाई हेतु नोटिस की गई। सुनवाई के दौरान निम्नांकित पदाधिकारी, जन वितरण प्रणाली दुकानदार एवं शिकायतकर्त्ता उपस्थित हुए :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनुआ। अजित कुमार प्रधान, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, ग्राम– झीलियामारा, प्रखण्ड– सोनुआ, जिला– पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। शिकायतकर्त्ता श्रीमती कैरी कुई हेम्ब्रम, ग्राम– झालियामारा, प्रखण्ड– सोनुआ, पश्चिमी सिंहभूम। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्त्ता श्रीमती कैरी कुई हेम्ब्रम, ग्राम– झालियामारा, प्रखण्ड– सोनुआ, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि उन्हे 15 किलो अनाज मिल रहा है एवं उनका बेटा बुधराम हेम्ब्रम के द्वारा बताया गया कि उनका परिवार अलग रहता है और उन्हे भी 15 किलो अनाज मिल रहा है। सुनवाई के क्रम में शिकायतकर्त्ता श्रीमती कैरी कुई हेम्ब्रम, ग्राम– झालियामारा, प्रखण्ड– सोनुआ, पश्चिमी सिंहभूम से पुनः पुछा गया कि अब उन्हें जन वितरण प्रणाली दुकानदार से कोई शिकायत है क्या? उनके द्वारा बताया गया कि अब उन्हे वितरण प्रणाली दुकानदार से कोई शिकायत नहीं है। चुँकि शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है और अब शिकायतकर्त्ता को डीलर से कोई शिकायत नहीं है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनुआ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एवं राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ भेजे। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 24/8 जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, –सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। (हस्ताक्षर) 24/08/2021 जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी –सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।	

G:\DEGRO FILE.docx